रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 2006/आश्विन 6, 1928
No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2006/ASVINA 6, 1928

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

सं. एफ. 37-3/विधिक/2006.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (ख), (छ), (झ), (ञ) एवं (फ) और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 28-11-2005 के विनियम 37-3/विधिक/2004 के अधिक्रमण में, परिषद् द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए जाते हैं :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(क) इन **विनियमों** का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही किसी संस्था को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देना तथा मानित-विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में सन्नियमों और मानकों का अनुरक्षण **विनियम, 2006** है ।

(ख) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

(2) परिभाषाएं ;-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -

(क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 (1987 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "तकनीकी संस्था" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा स्थापित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा निजी (स्व-वित्तपोषित) संस्थाएं जो एमसीए, वास्तुकला , नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी ,अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प सहित इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी में तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य कार्यक्रमों एवं विषयक्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध क्षेत्र में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही हैं ।

(घ) " विश्वविद्यालय " से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित विश्वविद्यालय तथा इसमें शामिल है उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई मानित विश्वविद्यालय संस्था ।

(ङ) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें क्रमश: उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है ।

(3) उद्देश्य :-

ये विनियम निम्नलिखित उपबंध करेंगे :

(क) तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यमान तथा 'डीनोवो' संस्थाओं को मानित विश्वविद्यालय दर्जा देने के लिए आयोग को परामर्श देना ।

(ख) तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे विश्वविद्यालयों, जिनमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, में सन्नियमों और मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना ।

(4) प्रयोज्यता

" ये विनियम सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा निजी (स्व-वित्तपोषित) मानित विश्वविद्यालयों सहित ऐसे विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो एमसीए, वास्तुकला , नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी ,अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प सहित इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य कार्यक्रमों एवं विषयक्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध क्षेत्र में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं ।

(5) अपेक्षाएं :

(क) "तकनीकी शिक्षा" प्रदान कर रही किसी विद्यमान संस्था अथवा किसी "डी नोवो" संस्था को केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) के परामर्श पर ही मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाएगा ।

(ख) मानित विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप) द्वारा विनिर्धारित सन्नियमों और मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करते हुए तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करेंगे ।

6. तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही किसी संस्था को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परामर्श देने के लिए प्रस्तावों के प्रक्रमण की पद्धति

6.1 आवेदनों/प्रस्तावों को प्रस्तुत करना

मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परामर्श देने के लिए प्रस्ताव निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

क) पंजीकृत सोसाइटियां और न्यास
ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाएं

6.1 (क) पूरी तरह भरे गए तथा हस्ताक्षरित आवेदन, जो सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) , शिक्षा विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है, की विधिवत् रूप से भरी एवं हस्ताक्षरित तीन प्रतियां तथा साथ में प्रस्तावों के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज अभातशिप, मुख्यालय नई दिल्ली में प्रस्तुत किए जाने चाहिए । " सदस्य सचिव, अभातशिप " के पक्ष में किसी राष्ट्रीय बैंक में आहरित तथा नई दिल्ली में देय 1,00,000 रु. का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्ताव के साथ अवश्य संलग्न किया जाना चाहिए, जिसके न किए जाने पर प्रस्ताव पर विचार नही किया जाएगा । (सरकारी/सरकारी द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है)।

(ख) प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा की जाएगी तथा कमियां, यदि कोई हैं, आवेदक सोसाइटी/न्यास को सूचित की जाएगी ।

ग) आवेदक सोसाइटी/न्यास को विनिर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अभातशिप, नई दिल्ली द्वारा आगे परामर्श दिया जा सकेगा ।

6.2 अध्यक्ष अभातशिप द्वारा गठित निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी एक विजिटिंग समिति अभातशिप द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट सन्नियमों एवं मानकों आदि की स्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए आवेदक संस्था का दौरा करेगी।

- अध्यक्ष के रूप मे कोई लब्धप्रतिष्ठ शिक्षाविद्
- तकनीकी शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (जिसमें से एक सदस्य यूजीसी का नामिती होगा)/ आईआईटी/आईआईएम के निदेशकों* में से दो सदस्य । (* केवल प्रबंधन प्रस्तावों के लिए)।
- दो विषय विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर अथवा समकक्ष की पंक्ति से नीचे नहीं होंगे ।
- संयोजक के रूप में अभातशिप का एक अधिकारी ।

6.3 मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश , सन्नियम एवं मानक परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएंगे ।

6.4 (क) विजिटिंग समिति की रिपोर्ट **ईसी उप-समिति** के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी , जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- अध्यक्ष के रूप में परिषद् के उपाध्यक्ष
- सदस्य के रूप में कार्यकारिणी समिति के दो सदस्य जिन्हें अध्यक्ष अभातशिप द्वारा नामित किया जाएगा तथा जिनमे से एक सदस्य अभातशिप का सदस्य-सचिव होगा ।

ख) ईसी-उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर , अध्यक्ष , अभातशिप परिषद् के निर्णय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संप्रेषित करेगा तथा इसकी सूचना आवेदक सोसाइटी/न्यास/संस्था को दी जाएगी ;

(i) मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसा करना, अथवा

(ii) मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुशंसा न करना तथा साथ में ऐसी अस्वीकृति के लिए आधार भी प्रस्तुत करना ।

6.5 (क) आवेदक सोसाइटी/न्यास/संस्था कमियों को दूर करने तथा अभातशिप द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित सन्नियमों, मानकों और शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत कर सकती है ।

6.6 (क) यदि आवेदक सोसाइटी/न्यास परिषद् के निर्णय से असहमत है, तो वह विनिर्धारित शुल्क के साथ विनिर्धारित प्रपत्र पर अध्यक्ष अभातशिप द्वारा गठित अपीलीय समिति के विचार के लिए अपील कर सकता है , जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- अध्यक्ष के रूप में कोई लब्धप्रतिष्ठ शिक्षा शास्त्री/शिक्षाविद्
- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम का निदेशक*
- किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
- संयोजक के रूप में परिषद् का अधिकारी

* (प्रबंधन संस्थाओं/कार्यक्रमों के लिए)

ख) अपीलीय समिति की सिफारिशों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी के आधार पर अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

7. तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रहे विश्वविद्यालय जिसमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल है, में सन्नियमों और मानकों का अनुरक्षण :

7.1 तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रहे विश्वविद्यालय, जिनमें मानित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, प्रत्येक वर्ष **31 अगस्त** तक अभातशिप मुख्यालय, नई दिल्ली को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ सन्नियमों एवं मानकों की पूर्ति तथा अवसंरचना की स्थिति और अन्य सुविधाओं के बारे में विनिर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन किया गया हो । हार्ड प्रति के अलावा, मानित विश्वविद्यालयों सहित अन्य विश्वविद्यालयों को विनिर्धारित प्रपत्र पर अनुपालन रिपोर्ट ऑनलाइन भेजना भी आवश्यक है ।

7.2 परिषद् जब कभी आवश्यक हो, परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित सन्नियमों और मानकों के अनुपालन की स्थिति को अभि निश्चित करने के प्रयोजन से मानित विश्वविद्यालयों सहित अन्य विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करवा सकती है ।

7.3 अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी विजिटिंग समिति आवेदक सोसाइटी/न्यास की संस्था के परिसर का दौरा करेगी तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों की स्थिति की समीक्षा करेगी :-

- अध्यक्ष के रूप में लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षाविद्
- सदस्य के रूप में तकनीकी शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों के दो कुलपति
- संयोजक के रूप में परिषद् का अधिकारी

परिषद् के दौरे में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक नामिती को भी आमंत्रित करेगी ।

7.4 (क) परिषद् नामित विश्वविद्यालय सहित संबंधित विश्वविद्यालय को उस तारीख की सूचना देगी जिस तारीख को निरीक्षण किया जाना है ।

(ख) नामित विश्वविद्यालय सहित वह विश्वविद्यालय, जिसका निरीक्षण समिति द्वारा किए जाने की योजना है, समिति के साथ सहयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी वरिष्ठ संकाय सदस्य को नामित करेगा ।

(ग) विश्वविद्यालय का नामिती विजिट के दौरान आवश्यक दस्तावेज तथा दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी को उपलब्ध कराने में विजिटिंग समिति की सहायता करेगा । तथापि, विश्वविद्यालय के ऐसे नामिती को अभातशिप की विजिटिंग समिति के सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा।

7.5 (क) परिषद् अपने निष्कर्षों के बारे में तथा ऐसे निष्कर्षों के परिणामस्वरूप यथा उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित करेगी ।

(ख) परिषद् आवश्यक अनुपालन तथा उनकी वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों के बारे में मानित विश्वविद्यालय सहित भी संबंधित विश्वविद्यालय को भी सूचित करेगी ।

(ग) परिषद् अपने निष्कर्षों के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर और/अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रदर्शित करेगी ।

7.6 परिषद् मानित विश्वविद्यालयों सहित ऐसे विश्वविद्यालयों, जो परिषद् द्वारा विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों का अनुपालन करते हैं, की एक सूची और एक साथ ही प्रवेश क्षमता के साथ कार्यक्रम के विवरण तथा मानित विश्वविद्यालयों सहित ऐसे विश्वविद्यालयों, जो सन्नियमों एवं मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं, की सूची और साथ ही कार्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के विवरण समय-समय पर प्रकाशित करेगी ।

7.7 (क) मानित विश्वविद्यालयों सहित अन्य विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व एक सूचना- पुस्तिका प्रकाशित करेंगे जिसमें संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विवरण तथा अनिवार्य प्रकटन के रूप में संकाय सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विवरण दिए जाएंगे । सूचना-पुस्तिका तकनीकी शिक्षा के पणधारियों को समूल्य उपलब्ध कराई जाएगी । जानकारी को प्रत्येक वर्ष संस्था के सभी पहलुओं के बारे में अद्यतन जानकारी द्वारा संशोधित किया जाएगा ।

(ख) मानित विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालयों के लिए 7.7 (क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वेबसाइट रखना अनिवार्य होगा । जब कभी सूचना में परिवर्तन हों, वेबसाइट की जानकारी को निरंतर अद्यतन बनाया जाना चाहिए ।

(8) निर्वचन

यदि इन विनियमों के निर्वचन के विषय में कोई प्रश्न उठता है , तो उसका निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा ।

परिषद् के पास इन विनियमों के क्रियान्वयन के संबंध में उठने वाले किसी संशय को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति विद्यमान है ।

(9) छूट देने का अधिकार

परिषद्, अपवाद के मामलों में, किसी कठिनाई को दूर करने अथवा लिखित में दर्ज किए जाने वाले ऐसे ही किसी अन्य कारणों के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में छूट प्रदान कर सकती है ।

ह./- (अपठनीय)
कृते सदस्य सचिव
[विज्ञापन III/IV/असा./162/2006]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

No. F. 37-3/Legal/2006 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 read with section 10 (b), (g), (i), (t),& (v) and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and in super session of the Regulations No. F. 37-3/Legal/2004 dated 28-11-2005, the following regulations are hereby notified by the Council:

(1) Short title and commencement:-

(a) These **Regulations** may be called the All India Council for Technical Education (AICTE) award of Deemed University Status to an institution imparting technical education and maintenance of norms and standards in Universities including Deemed to be Universities **Regulations, 2006.**

(b) They shall come into force w.e.f. the date of publication in the Official Gazette of India.

(2) Definitions:-

In these Regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(b) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act 1956;

(c) 'Technical Institution" means an Institution set up by Government, Government Aided and Private (self financing) conducting courses / programmes in the field technical education, training and research in Engineering, Technology Including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programmes and areas as are notified by the Council from time to time;

(d) "University" means a University defined under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes an institution deemed to be University under section 3 of that Act.

(e) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act;

(3) Purpose:-

These Regulations provide for :-

(a) Advising the Commission on award of Deemed University Status to the existing and "De Novo" institutions for imparting technical education.

(b) Maintenance of norms and standards in Universities including Deemed to be Universities imparting technical education.

(4) Applicability: -

These Regulations shall be applicable to Universities including Deemed to be Universities of Government, Government Aided and Private (self financing) conducting courses / programs in the fields of technical education, training and research in Engineering, Technology including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programs and areas as are notified by the Council from time to time.

(5) Requirement: -

(a) An existing institution or a "De Novo" institution imparting 'technical education', shall be declared as Deemed University only on the advice of the All India Council for technical education (AICTE).

(b) All Universities including Deemed Universities shall conduct technical courses/programmes ensuring maintenance of the norms and standards prescribed by All India Council for Technical Education (AICTE)

6. PROCEDURE FOR PROCESSING OF PROPOSALS FOR PROVIDING ADVICE TO UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR AWARD OF DEEMED TO BE UNIVERSITY STATUS TO AN INSTITUTION CONDUCTING TECHNICAL COURSES/ PROGRMMES.

6.1 SUBMISSION OF APPLICATIONS/PROPOSALS

The Proposal for providing advice to University Grants Commission for award of Deemed to be University Status can be submitted by the following:

a) Registered Societies and Trusts
b) Central/State Government Institutions

6.1(a) Three copies of the Duly filled in and signed Proposal, which is submitted to the Secretary, Ministry of Human Resource Development (MHRD), Dept. of Education, Govt. of India, along with requisite documents in support of the proposals shall be submitted to the AICTE HQs New Delhi. A Demand Draft for Rs. 1,00,000, drawn on a nationalized bank in favour of "The Member Secretary, AICTE", payable at New Delhi, must be enclosed with the proposal failing which the application shall not be considered (Govt./ Govt. aided institutions are exempted from the payment of application fee).

(b) The proposal received shall be scrutinized and deficiencies if any shall be communicated to the Applicant Society/Trust.

(c) The Applicant Society/Trust may be further advised by AICTE New Delhi to submit any additional Documents/ information within a time limit prescribed.

6.2 A Visiting Committee comprising of the following members constituted by the Chairman AICTE shall visit the Applicant Institution to ascertain status of norms and standards etc. as prescribed by the AICTE.

- **An academician of repute as Chairman**
- **Two members amongst the Vice Chancellors of the Universities dealing with technical education (one member being UGC nominee)/Directors of IIT/ IIM*. (*For Management Proposals).**
- **Two Subject Experts not below the rank of Professor or equivalent.**
- **An Officer of the AICTE as convener.**

6.3 The guidelines, norms and standards for consideration of proposals for award of Deemed University status shall be notified by the Council from time to time.

6.4 (a)The Report of the Visiting Committee shall be placed before **EC Sub Committee** comprising:

- Vice Chairman of the Council as Chairman.
- Two members of the Executive Committee as Members to be nominated by the Chairman AICTE out of which one member shall be the Member Secretary AICTE.

(b) Based on the Recommendations of the EC-Sub-Committee, the Chairman AICTE shall communicate the decision of Council to the University Grants Commission under intimation to the Applicant Society/ Trust/ Institution;

(i) To recommend for award of Deemed University status. or

(ii) Not to recommend for award of Deemed University status giving grounds for such rejection.

6.5(a) The Applicant Society/Trust/Institution may resubmit the proposal after rectifying the deficiencies and complying with the norms, standards and conditions prescribed by the Council from time to time.

6.6(a) In case the Applicant Society/Trust disputes the decision of the Council, it may appeal in the prescribed format along with the prescribed fee for consideration of an **Appellate Committee** constituted by the Chairman AICTE comprising the following members:

- **An educationist/academician of repute as Chairman**
- **A Director of IIT/NIT/IIM ***
- **A Vice Chancellor of an University**
- **An Officer of the Council as convener**

***(For Management institutions//Programmes)**

(b) Based on the recommendations of the Appellate Committee and other relevant information, a final decision shall be taken by the Chairman AICTE.

7. MAINTENANCE OF NORMS AND STANDARDS IN A UNIVERSITY INCLUDING DEEMED TO BE UNIVERSITY CONDUCTING TECHNICAL EDUCATION COURSES/PROGRAMMES:

7.1 The Universities including Deemed to be Universities conducting technical education courses/programmes shall submit to AICTE Headquarters, New Delhi, by **31st August** every year, a Compliance Report alongwith mandatory disclosures in the prescribed format to provide information on fulfillment of norms and standards and status of infrastructure and other facilities. Besides the hard copy, the Universities including Deemed to be Universities shall also be required to send the Compliance Report online in the format prescribed.

7.2 As and when required, the Council may cause an inspection to the Universities, including deemed to be universities for the purposes of ascertaining the status of the compliance norms and standards prescribed by the Council.

7.3 A Visiting Committee comprising the following members constituted by Chairman AICTE shall visit the premises of the institution of the applicant Society/Trust and examine the status of the norms & standards and conditions as prescribed by the Council from time to time.

- **An academician of repute as Chairman**
- **Two Vice Chancellors of the Universities dealing with technical education as members**
- **An Officer of the Council as convener.**

The Council shall also invite a nominee of University Grants Commission to participate in the visit

7.4 (a) The Council shall communicate the date on which the visit is to be made to the University including Deemed to be University concerned.

(b)The University including Deemed to be University to which the visit of the Committee is planned shall nominate a senior faculty of the University to be associated with the Visit.

(c)The nominee of University shall assist the Visiting Committee in providing necessary documents and other information sought by the visiting Expert Committee during the Visit. However such nominee of the University shall not be construed as the member of the AICTE Visiting Committee.

7.5 (a)The Council shall communicate to the University Grants Commission its findings and action to be taken as a result of such findings for appropriate action as deemed fit.

(b)The Council shall also communicate the findings of the Expert Committee to the concerned University including Deemed to be University for necessary compliance, and for display in their website.

(c)The Council shall also display in its website and/or by any other means to inform the general public about its findings.

7.6 The Council from time to time publish a list of Universities including Deemed Universities with details of Programme with intake, which comply with the norms and standards prescribed by the Council and the list of Universities including Deemed Universities with details of Programmes and intake, which do not comply with the norms and standards.

7.7 (a)The Universities including Deemed to be Universities shall publish an information booklet before commencement of the academic year giving the details regarding the programmes being conducted and details of Infrastructural facilities including faculty etc. in the form of mandatory disclosure. The information booklet shall be made available to the stakeholders of the technical education on cost basis. The information shall be revised every year with updated information about all aspects of the institution.

(b)It shall be mandatory for the Universities including Deemed to be Universities to maintain a Web-site providing the prescribed information under 7.7(a). The website information must be continuously updated as and when changes take place.

(8) Interpretation

If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Council.

The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these Regulations.

(9) Power to relax

The Council may, in exceptional cases, for removal of any hardship or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations.

Sd./- (Illegible)
For Member Secy.
[ADVT. III/IV/Exty./162/2006]

3054 GI/06-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

सं. एफ. 37-3/विधिक/2006.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (ख), (छ), (झ), (ट), (त) एवं (फ) और धारा 11 के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 28.11.2005 के विनियम 37-3/विधिक/2004 के अधिक्रमण में, परिषद् द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए जाते हैं :-

2.1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के लिए सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि/परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन प्रदान करना तथा विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन का विस्तार विनियम, 2006 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2.2 परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -

(क) 'अधिनियम' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम, 1987 (1987 का 52) अभिप्रेत है ;

(ख) ' तकनीकी संस्था ' से अभिप्रेत है सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा निजी (स्व-वित्तपोषित) संस्थाएं जो एमसीए, वास्तुकला , नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी ,अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प सहित इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य कार्यक्रमों एवं विषयक्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध क्षेत्र में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही हैं ।

(ग) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) में परिभाषित किया गया है, का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें क्रमश: उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है ।

2.3 प्रयोजन

ये विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध करेंगे :

क) नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करना ;

ख) तकनीकी संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने और/अथवा विद्यमान पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों में सीटों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि और/अथवा परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान करना ;

ग) विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन का विस्तार प्रदान करना ;

2.4 प्रयोज्यता

ये विनियम इन सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा निजी (स्व-वित्तपोषित) तकनीकी संस्थाओं पर लागू होंगे जो एमसीए, वास्तुकला , नगर आयोजना, प्रबंधन, भेषजी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी ,अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प सहित इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य कार्यक्रमों एवं विषयक्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध के क्षेत्रों में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही हैं ।

2.5 अनुमोदन प्रदान करने की अपेक्षाएं

(1) परिषद् से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना 'तकनीकी शिक्षा' के क्षेत्र में सभी स्तरों पर सरकारी, सरकार द्वारा सहायताप्राप्त अथवा निजी (स्ववित्त पोषित) कोई भी नई तकनीकी संस्था, चाहे वह किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो अथवा संबद्ध न हो , शुरू नहीं की जाएगी और कोई भी नया पाठ्यक्रम या कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जाएगा तथा विद्यमान पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में कोई वृद्धि और/अथवा परिवर्तन नहीं किया जाएगा । परिषद् अभातशिप से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किए बिना "तकनीकी शिक्षा" में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित करने के माध्यम से इस विनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए यथास्थिति ऐसी व्यतिक्रमी संस्था/सोसाइटी/ न्यास/कंपनी/सहयोजित व्यष्टियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर सकेगी ।

(2) परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना सरकारी, सरकार द्वारा सहायताप्राप्त अथवा निजी (स्व-वित्त-पोषित) कोई भी विद्यमान तकनीकी संस्था, चाहे वह किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो अथवा संबद्ध न हो, कोई तकनीकी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित नहीं करेगी ।

3) कोई विश्वविद्यालय, बोर्ड अथवा अन्य कोई निकाय ऐसी संस्थाओं तथा उनके तकनीकी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को संबद्ध नहीं करेगा जो ऐसी डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करते हों जिन्हें अभातशिप का अनुमोदन प्राप्त नहीं है ।

(4) कोई प्रवेश प्राधिकरण/निकाय/संस्था अभातशिप द्वारा अनुमोदित न किए गए तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश को अनुमति नहीं देगा ।

2.6 तकनीकी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संचालन हेतु नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्तावों के प्रक्रमण की पद्धति ।

प्रस्तावों/आवेदनों को प्रस्तुत करना ।

तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने के लिए नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रपत्र निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं

क) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां एवं न्यास
ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाएं
ग) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाएं

प्रस्ताव प्रपत्र अभातशिप की वेबसाइट www.aicte.ernet.in द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं । तथापि, 'सदस्य सचिव, अभातशिप ' के पक्ष में नई दिल्ली में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित 5000/- रु. का एक डिमांड ड्राफ्ट आवेदन प्रपत्र के लिए प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिसके न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

2.6.1 (क) नई संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रक्रिया खुली होगी जिसमें आवेदक सोसाइटी/न्यास को पूरे वर्ष में किसी भी समय परिषद् के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। नई संस्था के लिए परिषद् में प्राप्त आवेदन तीन वर्ष के लिए वैध होगा ।

(ख) विधिवत् रूप से भरे हुए तथा हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्रपत्र चार प्रतियों में अपेक्षित प्रक्रमण शुल्क के साथ और प्रस्ताव के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अभातशिप के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

(ग) प्रस्ताव के साथ संलग्न जांच सूची की एक समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी, जो संयोजक के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी सहित संबंधित क्षेत्रीय समिति के दो सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(घ) परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच सूची में कमियां , यदि कोई हों, प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक सोसाइटी/न्यास को सूचित की जाएंगी तथा इसकी सूचना अभातशिप मुख्यालय, नई दिल्ली को दी जाएगी ।

2.6.2 (क) क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रस्तावों की सभी प्रकार से पूर्ण एक-एक प्रति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों और संबद्धक विश्वविद्यालय को 30 दिन के भीतर उनकी राय प्राप्त करने के लिए अग्रेषित करेगा।

(ख) राज्य सरकारें और संबद्धक विश्वविद्यालय अपनी राय क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अग्रेषित करेंगे । राज्य सरकारें/संबद्धक विश्वविद्यालय अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कारण और औचित्य प्रदान करेंगे । नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रस्तावों का प्रक्रमण करते समय संबंधित राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों की राय को ध्यान में रखा जाएगा । तदनुसार, आवेदक सोसाइटियों/न्यासों द्वारा संबंधित राज्य/विश्वविद्यालय से अलग से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" अभातशिप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) परिषद् के पास नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के मामलों का निर्णय करते समय राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की सिफारिशों को नामंजूर करने का अधिकार है ।

2.6.3 (क) इसके पश्चात् प्रस्तावों पर अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित की जाने वाली निम्नलिखित सुनवाई समिति द्वारा विचार किया जाएगा :

- अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/वृत्तिक
- समिति के सदस्य के रूप में प्रोफेसर के स्तर के तीन विशेषज्ञ सदस्य जिनमें से एक सदस्य ऊपर पैरा 2.6.2 (ग) में निर्दिष्ट क्षेत्रीय समिति का सदस्य होगा
- संयोजक के रूप में अभातशिप मुख्यालय के सलाहकार/निदेशक

(ख) सुनवाई समिति की अध्यक्षता किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/वृत्तिक द्वारा की जाएगी जो उपर्युक्त समिति के सदस्यों में से ही होगा ।

(ग) प्रस्तावों के प्रक्रमण के लिए सुनवाई समिति की बैठक एक माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

2.6.4 (क) आवेदक सोसाइटी/न्यास परिषद् द्वारा विहित आवश्यक दस्तावेजों/जानकारी के साथ सुनवाई समिति के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण पेश करेंगे ।

(ख) आवेदक सोसाइटी/न्यास द्वारा सुनवाई समिति के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेजों/जानकारी की सूची परिषद् द्वारा समय-समय पर आवेदन प्रक्रिया पुस्तिका में अधिसूचित की जाएगी ।

2.6.5 सुनवाई समिति की सिफारिशों के आधार पर अभातशिप आशय-पत्र जारी करेगी जो आशय पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष तक वैध रहेगा जिस अवधि के दौरान आवेदक सोसाइटी/न्यास सन्नियमों और मानकों तथा समय-समय पर विनिर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के पश्चात् परिषद् से अनुमोदन पत्र प्राप्त करेगा । तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, आवेदक सोसाइटी/न्यास आशय-पत्र जारी करने के लिए नया आवेदन करेगा ।

2.6.6 (क) ऐसे मामले में, जहां परिषद् द्वारा यथा विनिर्धारित सन्नियमों और मानकों तथा शर्तों के पूरा न किए जाने पर आशय-पत्र दिए जाने से इंकार किया गया है, वहां आवेदक को इंकार करने के आधारों सहित सूचित किया जाएगा ।

(ख) आवेदक सोसाइटी/न्यास कमियों में सुधार करने के पश्चात् प्रस्ताव पर पुन: विचार करवा सकता है । ऐसे दावों को आवेदक न्यास/सोसाइटी के खर्च पर सत्यापित किया जाएगा ।

(ग) तथापि, आवेदक सोसाइटी/न्यास केवल एक ही बार पुन:विचार कराने के लिए पात्र होगा । यदि प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आवेदक न्यास/सोसाइटी आशय-पत्र जारी करने के लिए नया आवेदन करेगी ।

2.6.7(क) यदि आवेदक सोसाइटी/न्यास परिषद् के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह किसी भी समय अपील कर सकता है तथा अपील पर अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा समय-समय पर गठित अपीलीय समिति द्वारा सुनवाई की जाएगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :-

- अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/शिक्षाशास्त्री
- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम का निदेशक* (* प्रबंधन प्रस्तावों के लिए)
- किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
- संयोजक के रूप में सलाहकार (अभातशिप)

(ख) सुनवाई समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी ।

(ग) अपीलीय समिति की सिफारिशों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी के आधार पर आशय-पत्र प्रदान करने अथवा अन्यथा के विषय में अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।

(घ) यदि प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आवेदक/सोसाइटी/न्यास आशय-पत्र जारी करने के लिए नया आवेदन कर सकता है ।

2.6.8 उस आवेदक सोसाइटी/न्यास द्वारा, जिसे आशय-पत्र जारी किया गया है, परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित सन्नियमों, मानकों और अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् परिषद् को आवेदन किया जाना अपेक्षित है, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ-साथ विशेषज्ञ समिति की विजिटों के लिए उपयुक्त तारीखें प्राप्त की गई हों:-

(1) 'सदस्य सचिव, अभातशिप ' के पक्ष में आहरित तथा नई दिल्ली में देय 50,000/- रु. का अप्रतिदेय प्रक्रमण शुल्क (सरकारी संस्थाओं को प्रक्रमण शुल्क के भुगतान से छूट है) ।

(2) (क) नीचे दर्शाई गई संस्थाओं की श्रेणी के लिए यथा लागू राशि के लिए आवेदक सोसाइटी/न्यास के अध्यक्ष/चेयरमैन सभापति तथा अभातशिप के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के नाम पर 8 वर्ष की अवधि के लिए सृजित संयुक्त सावधि जमा (सरकारी एवं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं और सरकारी विश्वविद्यालयों को छूट है)

संस्था की श्रेणी	संयुक्त सावधि जमा
इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी	35.00 लाख रु.
भेषजी/एचएमसीटी/वास्तुकला/आयोजना /अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प (डिग्री) एसीए/ एमबीए/पीजीडीएम/ पीजीडीबीएम	15.00 लाख रु.

ख) मूल संयुक्त सावधि जमा प्रस्तावित संस्था की अभिरक्षा में रखी जाएगी । संयुक्त सावधि जमा की एक प्रति अभातशिप के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी तथा साथ ही विनिर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह कहा गया हो कि संयुक्त सावधि जमा को अभातशिप के पूर्व-अनुमोदन के बिना भुनाया अथवा परिवर्धित नहीं किया जाएगा । क्षेत्रीय अधिकारी अभातशिप संबंधित बैंक को यह अनुदेश भी देगा कि संयुक्त जमा के किसी भुगतान/परिवर्धन को अनुमति न दी जाए तथा अभातशिप की पूर्व सहमति के बिना जमा के विरुद्ध ऋण प्रदान न किया जाए ।

(ग) सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज को संबंधित संस्था को वार्षिक आधार पर प्रदान कर दिया जाएगा तथा इसका उपयोग विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों प्रदान करने के लिए किया जाएगा ।

3054 GI/06-4

(घ) सावधि जमा की अवधि की समाप्ति पर संयुक्त सावधि जमा के भुगतान की अनुमति दी जाएगी । तथापि, सन्नियमों, शर्तों तथा अपेक्षाओं के किसी उल्लंघन और/अथवा संस्था द्वारा गैर-निष्पादन और/अथवा संस्था के विरुद्ध शिकायत के मामले में मामला-दर-मामला आधार पर यथानिर्णीत अनुसार सावधि जमा की अवधि को आगे किसी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है और/अथवा उसे जब्त किया जा सकता है ।

3. अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रक्रमण शुल्क तथा संयुक्त एफडीआर की राशि में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी ।

2.6.9(क) एक विशेषज्ञ समिति आवेदक सोसाइटी/न्यास द्वारा अपेक्षित प्रक्रमण शुल्क के भुगतान पर संस्था के प्रस्तावित परिसर की विजिट करेगी तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्था की तैयारियों की जांच करेगी ।

(ख) विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

- अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ सदस्य जो एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे
- राज्य सरकार तथा संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नामित किए जाने वाले एक-एक विशेषज्ञ सदस्य जो एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर की पंक्ति से नीचे नहीं होंगे ।
- संयोजक के रूप में अध्यक्ष अभातशिप द्वारा नामित नामनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अथवा परिषद् का कोई अधिकारी

ग) विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता उपर्युक्त समिति में से किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/वृत्तिक द्वारा की जाएगी ।

घ) दौरा करने वाली विशेषज्ञ समिति को उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज समय-समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में अधिसूचित किए जाएंगे ।

2.6.10 (क)विशेषज्ञ विजिटिंग समिति की रिपोर्ट ईसी उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- अध्यक्ष के रूप में परिषद् के उपाध्यक्ष
- सदस्यों के रूप में अध्यक्ष अभातशिप द्वारा नामित किए जाने वाले कार्यकारी समिति के दो सदस्य जिनमें से एक अभातशिप का सदस्य सचिव होगा ।

ख) ईसी उप-समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी ।

ग) ईसी उप-समिति की सिफारिशें तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी को नई तकनीकी संस्था की स्थापना के लिए "अनुमोदन" प्रदान करने अथवा अन्यथा के बारे में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष अभातशिप के समक्ष रखा जाएगा। अध्यक्ष के निर्णय को अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

घ) आवेदक सोसाइटी/न्यास को 'अनुमोदन पत्र निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा जो अनुमोदन पत्र को जारी करने की तारीख से दो वर्ष के लिए वैध रहेगा ।

ङ) ऐसे मामलों में, जहां परिषद् द्वारा यथा-विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों और शर्तों के पूरा न किए जाने के आधार पर अनुमोदन से इंकार किया गया है, इंकार करने के आधारों के साथ इसे सूचित किया जाएगा ।

च) आवेदक सोसाइटी/न्यास कमियों को दूर करने तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित सन्नियमों, मानकों तथा शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् पुनर्विचार के लिए कह सकता है ।

छ) कमियों पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा । परिषद् आवेदक सोसाइटी/न्यास द्वारा किए गए दावों के सत्यापन के लिए एक विशेषज्ञ विजिटिंग समिति नियुक्त करने पर विचार करेगी, जिसकी सिफारिशों को ईसी-उप-समिति के समक्ष रखा जाएगा । इस संबंध में किया गया समस्त व्यय आवेदक सोसाइटी/न्यास द्वारा वहन किया जाएगा ।

2.6.11(क) यदि आवेदक सोसाइटी/न्यास परिषद् के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह किसी भी समय अपील कर सकता है तथा अपील की सुनवाई एक अपीलीय समिति द्वारा की जाएगी जो अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी तथा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

- अध्यक्ष के रूप में कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद/शिक्षाशास्त्री
- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम* का निदेशक (केवल प्रबंधन प्रस्तावों के लिए)
- किसी विश्वविद्यालय के कुलपति
- संयोजक के रूप में सलाहकार (अभातशिप)

(ख) अपीलीय समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी ।

(ग) अपीलीय समिति की सिफारिशों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी के आधार पर नई तकनीकी संस्था की स्थापना के लिए "अनुमोदन" प्रदान करने अथवा अन्यथा के बारे में अभातशिप द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा । अध्यक्ष के निर्णय को अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

(घ) ऐसे मामलों में जहां परिषद् द्वारा यथानिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों के पूरा न करने के कारण अपीलीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदन देने से इंकार किया गया है, इंकार किए जाने के आधार संबंधित आवेदक सोसाइटी/न्यास को सूचित किए जाएंगे ।

(ङ) यदि प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आवेदक सोसाइटी/न्यास आशय-पत्र जारी करने के लिए नया आवेदन कर सकते हैं ।

(च) अनुमोदन प्रदान करने अथवा अन्यथा का निर्णय संस्थाओं को पूरे वर्ष सूचित किया जाएगा । आवेदक संस्था की यह जिम्मेवारी होगी कि वह विश्वविद्यालय/प्रवेश प्राधिकारी आदि के विनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार आदि से आवश्यक संबद्धकता/अनुमति प्राप्त कर ले। इसके पश्चात् आवेदक सोसाइटी/न्यास अपने डाटाबेस को अद्यतन बनाने के लिए संस्था को प्रारंभ करने के बारे में 30 दिन के भीतर अभातशिप को जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

2.7 विद्यमान तकनीकी संस्थाओं के अनुमोदन के विस्तार के लिए प्रस्ताव के प्रक्रमण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया

2.7.1 अभातशिप द्वारा अनुमोदित ऐसी तकनीकी संस्थाएं, चाहे वे किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो अथवा नहीं, जो तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही है :

(क) अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्थाएं पैरा 2 7.1 (7) में यथापरिभाषित अनिवार्य प्रकटन जानकारी के साथ विनिर्धारित प्रपत्र में अनुपालन रिपोर्ट की दो प्रतियां तथा प्रक्रमण शुल्क के तौर पर सदस्य सचिव, अभातशिप के पक्ष में आहरित व नई दिल्ली में देय 40,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक परिषद् के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगी ।

(ख) संस्थाएं विनिर्धारित प्रपत्र में एक वचन भी प्रस्तुत करेगीं जिसमें कहा गया होगा कि अनुपालन रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी तथ्यात्मक और सही है और यह कि यदि यह पाया जाता है कि अनुपालन रिपोर्ट में प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य है, तो परिषद् अनुमोदन वापस लेने और उपयुक्त विधिक कार्रवाई करने सहित उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है ।

2.7.1.1(क) अनुपालन रिपोर्ट का प्रक्रमण एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

- विशेषज्ञता के संबंधित विषय/विषयक्षेत्र/क्षेत्र में एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर के स्तर के अथवा शोध एवं विकास संगठनों अथवा उद्योग से समकक्ष शिक्षाविद् जो क्रमश: वैज्ञानिक (एफ) और महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे न हों , तीन विशेषज्ञ सदस्य ।
- क्षेत्रीय अधिकारी सहित क्षेत्रीय समिति के दो सदस्य जिन्हें अध्यक्ष अभातशिप द्वारा नामित किया जाएगा,
- संयोजक के रूप में परिषद् का एक अधिकारी

(ख) मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता उपर्युक्त समिति में से किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/वृत्तिक द्वारा की जाएगी।

2.7.1.2(क) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को अनुमोदन जारी रखने अथवा अन्यथा पर निर्णय लेने के लिए उपाध्यक्ष / अध्यक्ष , अभातशिप के समक्ष रखा जाएगा । उपर्युक्त निर्णय को अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

(ख) सभी विद्यमान तकनीकी संस्थाओं को प्रदान किया गया अनुमोदन प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार/न्यास/संस्था को सूचित किया जाएगा ।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां परिषद् द्वारा यथा विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों और शर्तों को पूरा न करने के कारण अनुमोदन के विस्तार से इंकार कर दिया गया है, इंकार करने के आधारों के विषय में संबंधित संस्थाओं और प्राधिकरणों को सूचित किया जाएगा ।

(घ) आवेदक संस्था कमियों को दूर करने तथा समय-समय पर निर्धारित सन्नियमों, मानकों तथा शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् पुनर्विचार के लिए कह सकती है ।

(ङ) कमियों पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा । परिषद् आवेदक सोसाइटी/न्यास द्वारा किए गए दावों के सत्यापन के लिए एक विशेषज्ञ विजिटिंग समिति नियुक्त करने पर निर्णय लेगी, जिसकी सिफारिशें उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के समक्ष रखी जाएगी । इस संबंध में होने वाला समस्त व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

2.7.1.3 (क) यदि आवेदक सोसाइटी/न्यास परिषद् के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह किसी भी समय अपील कर सकता है तथा अपील को अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित एक अपीलीय समिति द्वारा सुना जाएगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

- अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/ शिक्षाशास्त्री
- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम* का निदेशक (*प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए)
- किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
- संयोजक के रूप में सलाहकार (अभातशिप)

(ख) अपीलीय समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी ।

2.7.1.4 अपीलीय समिति की सिफारिशों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी के आधार पर अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा ""अनुमोदन के विस्तार" की मंजूरी अथवा अन्यथा के बारे में परिषद् की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा । अध्यक्ष के निर्णय को अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

2.7.1.5 सन्नियमों एवं मानकों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अभातशिप पूरे वर्ष में किसी भी संस्था की स्थिति का सत्यापन करने के लिए किसी भी संस्था का कभी भी यादृच्छिक दौरा कर सकती है ।

2.7.1.6 ऐसे मामलों में जहां अन्यथा कथन, सन्नियमों एवं मानकों के उल्लंघन , कदाचार आदि की विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं, अभातशिप सत्यता का सत्यापन करने के लिए तारीखों को अधिसूचित करके अथवा इसके बिना ही निरीक्षण संचालित करवा सकती है । किसी भी उल्लंघन अथवा इसे प्रदान की गई असत्य जानकारी के लिए अभातशिप उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करेगी ।

2.7.1.7(क) शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व तकनीकी संस्थाएं एक सूचना-पत्र प्रकाशित करेंगी जिसमें अनिवार्य प्रकटन के रूप में संस्था तथा संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और संकाय आदि को शामिल करते हुए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विवरणों के बारे में जानकारी दी गई हो । यह सूचना-पत्र समूल्य आधार पर तकनीकी शिक्षा के प्रत्येक पणधारी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । संस्था के समस्त पहलुओं के बारे में अद्यतन जानकारी द्वारा इस सूचना को प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाना चाहिए ।

(ख) तकनीकी संस्थाओं के लिए वेबसाइट रखना अनिवार्य होगा जिसमें विनिर्धारित जानकारी प्रदान की जाएगी । किसी भी परिवर्तन के होने की स्थिति में वेबसाइट की जानकारी को निरंतर अद्यतन बनाया जाना चाहिए ।

(ग) यदि तकनीकी संस्था जानकारी प्रकट करने में असफल रहती है अथवा जानकारी छिपाती है और/ अथवा गलत जानकारी देती है, तो उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है जिसमें अभातशिप द्वारा अनुमोदन वापस लिया जाना भी शामिल है ।

2.8. विद्यमान तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने/ प्रवेश क्षमता में वृद्धि/परिवर्तन करने के लिए प्रस्तावों के प्रक्रमण हेतु पद्धति

2.8.1 प्रस्ताव प्रस्तुत करना

(क) अभातशिप अनुमोदित तकनीकी संस्थाएं नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने और/ अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि और/अथवा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए वर्ष भर के दौरान " किसी भी समय " निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ विनिर्धारित प्रपत्र (चार प्रतियां) पर प्रस्ताव परिषद् के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती हैं । प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए परिषद् द्वारा कोई "कट ऑफ तारीख" निर्धारित नहीं की गई है :

- अनिवार्य प्रकटनों के साथ परिषद् को प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति ।
- अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में अधिसूचित दस्तावेजों के साथ विस्तृत परियोजना रिपार्ट ।
- सदस्य सचिव, अभातशिप, नई दिल्ली के पक्ष में देय तथा नई दिल्ली में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 40,000 रुपये (चालीस हजार रुपये) का प्रक्रमण शुल्क ।

(ख) प्रस्ताव के साथ संलग्न जांच-सूची की एक समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी, जो संयोजक के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी सहित संबंधित क्षेत्रीय समिति के दो सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(ग) परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच सूची में कमियां, यदि कोई हों, प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदक सोसाइटी/ न्यास को सूचित की जाएगी तथा इसकी सूचना अभातशिप मुख्यालय, नई दिल्ली को दी जाएगी ।

2.8.2(क)क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रस्तावों की सभी प्रकार से पूर्ण एक-एक प्रति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबद्धक विश्वविद्यालय को 30 दिन के भीतर उनकी राय प्राप्त करने के लिए अग्रेषित करेगा ।

ख) राज्य सरकारें तथा संबद्धक विश्वविद्यालय अपनी राय क्षेत्रीय कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अग्रेषित करेंगे । राज्य सरकार/संबद्धक विश्वविद्यालय अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए औचित्य प्रदान करेंगे । नई तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रस्तावों का प्रक्रमण करते समय राज्य सरकार/संबद्धक विश्वविद्यालय की राय को ध्यान में रखा जाएगा । तदनुसार, आवेदक सोसाइटियों/न्यास द्वारा संबंधित राज्य/विश्वविद्यालय से अलग से " अनापत्ति प्रमाण-पत्र" अभातशिप को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

ग) विद्यमान तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/परिवर्तन करने के मामलों का निर्णय करते समय परिषद् के पास राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की सिफारिशों को अस्वीकार करने का अधिकार है ।

3054GI/06-5

2.8.3(क) इसके पश्चात् प्रस्तावों पर अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित निम्नलिखित सुनवाई समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

- अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/वृत्तिक
- सदस्यों के रूप में प्रोफेसर के स्तर के तीन विशेषज्ञ सदस्य जिनमें से एक सदस्य उपर्युक्त पैरा 2.8.1 (ख) में उल्लिखित क्षेत्रीय समिति की समिति का सदस्य होगा
- संयोजक के रूप में अभातशिप मुख्यालय के सलाहकार/निदेशक

(ख) **सुनवाई समिति** की अध्यक्षता उपर्युक्त समिति के सदस्यों में से किसी प्रतिष्ठित शिक्षाविद्/विद्वतजन द्वारा की जाएगी ।

(ग) वर्ष में प्राप्त प्रस्तावों का प्रक्रमण करने के लिए सुनवाई समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी ।

2.8.4(क) सुनवाई समिति के समक्ष **प्रस्तुत** किए जाने वाले दस्तावेजों/जानकारी की सूची अभातशिप द्वारा समय-समय पर अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में अधिसूचित की जाएगी ।

(ख) सुनवाई समिति संस्था द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित का निर्णय करेगी :

(i) अनुमोदन के लिए अभातशिप को अनुशंसा करना, अथवा
(ii) विशेषज्ञ समिति की विजिट के लिए अभातशिप को अनुशंसा करना
(iii) अस्वीकार करने के लिए अभातशिप को अनुशंसा करना जिसमें ऐसे अस्वीकार के लिए प्रासंगिक आधार दर्शाए गए हों ।

(ग) अभातशिप अपने डाटाबेस को अद्यतन बनाने तथा सन्नियमों और मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संस्था की स्थिति का सत्यापन करने हेतु वर्ष भर में किसी भी समय किसी भी संस्था की अकस्मात् विजिट कर सकती है ।

2.8.5 ऐसे मामलों में, जहां अन्यथा कथन, सन्नियमों एवं मानकों के उल्लंघन, कदाचार आदि की विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं, अभातशिप सत्यता का सत्यापन करने के लिए तारीखों को अधिसूचित करके अथवा इसके बिना ही समय-समय पर निरीक्षण संचालित करवा सकती है । किसी भी उल्लंघन अथवा इसे प्रदान की गई असत्य जानकारी के लिए अभातशिप उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करेगी ।

2.8.6(क) सुनवाई समिति की सिफारिशें नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने और/अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि/ परिवर्तन करने के बारे में निर्णय लेने के लिए उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, अभातशिप के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी । उपर्युक्त निर्णय अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

(ख) अभातशिप द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन, अनुमोदन-पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष के लिए वैध होगा ।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां परिषद् द्वारा यथानिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों तथा शर्तों को पूरा न करने पर अनुमोदन देने से इंकार किया गया है , इंकार करने के आधारों के बारे में संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाएगा ।

(घ) आवेदक संस्था कमियों दूर करने तथा समय-समय पर निर्धारित सन्नियमों, मानकों तथा शर्तों का अनुपालन करने के पश्चात् पुनर्विचार के लिए कह सकती है ।

(ङ) कमियों पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा । परिषद् आवेदक सोसाइटी/न्यास द्वारा किए गए दावों के सत्यापन के लिए एक विशेषज्ञ बिजिटिंग समिति नियुक्त करने पर निर्णय लेगी , जिसकी सिफारिशें उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के समक्ष रखी जाएंगी । इस संबंध में होने वाला समस्त व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

(च) तथापि, आवेदक संस्था केवल एक बार ही पुनर्विचार कराने के लिए पात्र हैं । यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक संस्था को नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने और/अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि/परिवर्तन के लिए अनुमोदन की मंजूरी हेतु नया आवेदन करना पड़ेगा ।

8.8.7(क) यदि आवेदक सोसाइटी/न्यास परिषद् के निर्णय से सहमत नहीं है, तो वह किसी भी समय अपील कर सकता है तथा अपील को अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा गठित एक अपीलीय समिति द्वारा सुना जाएगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

- अध्यक्ष के रूप में एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद/शिक्षाशास्त्री
- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम* का निदेशक (* केवल प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए)
- किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
- सयोजक के रूप में सलाहकार (अभातशिप)

(ख) अपीलीय समिति की बैठक तीन माह में एक बार होगी ।

(ग) अपीली समिति की सिफारिशों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी के आधार पर नए पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम शुरू करने और/अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने और/अथवा प्रवेश क्षमता में परिवर्तन करने के लिए "अनुमोदन" की मंजूरी अथवा अन्यथा के बारे में उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, अभातशिप द्वारा परिषद् की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा । अध्यक्ष का निर्णय अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

2.8.8(क)अनुमोदन प्रदान करने अथवा अन्यथा का निर्णय संस्थाओं को पूरे वर्ष सूचित किया जाएगा । आवेदक संस्थाओं की यह जिम्मेवारी होगी कि वे विश्वविद्यालय/प्रवेश प्राधिकरण आदि के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय/राज्य सरकार आदि से आवश्यक संबद्धकता/अनुमति प्राप्त करें। इसके पश्चात् आवेदक संस्था इसके डाटाबेस को अद्यतन बनाने के लिए 30 दिन के भीतर कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के बारे में अभातशिप को जानकारी प्रस्तुत करेगी।

(ख)ऐसे मामले में, जहां परिषद् द्वारा यथा विनिर्धारित सन्नियमों एवं मानकों और शर्तों के पूरा न किए जाने के कारण अपीलीय समिति की सिफारिशों पर अनुमोदन से इंकार किया गया है, इंकार करने के आधारों के बारे में संबंधित आवेदक संस्था को सूचित किया जाएगा ।

(ग) यदि अपीलीय समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आवेदक सोसाइटी/न्यास पुन: आवेदन कर सकता है ।

2.9 निर्वचन

यदि इन विनियमों के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा।

परिषद् के पास इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में उठने वाली किसी भी शंका को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति है ।

2.10 छूट देने की शक्ति

परिषद्, अपवाद के मामलों में, किसी कठिनाई के निवारण के लिए अथवा ऐसे ही अन्य कारणों, जिन्हें लिखित रूप से अभिलेखित किया जाना है, के लिए संस्थाओं के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों में छूट दे सकती है ।

2.11 अनुमोदन को वापस लेना

यदि कोई तकनीकी संस्था इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करती है, तो परिषद् ऐसी जांच जो वह उपयुक्त समझे, करने तथा संबंधित तकनीकी संस्था को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया अनुमोदन वापस ले सकती है ।

2.11.1 नो एडमिशन/अनुमोदन को वापस लेने के लिए पद्धति

2.11.1.1 किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध तकनीकी संस्थाएं :

(क) परिषद् वित्तीय आवश्यकताओं,अथवा संस्था के शिक्षण, परीक्षा और शोध के स्तर, विनियमों एवं मानकों के अनुरक्षण, विनियमों के उल्लंघन और कदाचारों आदि के विषय में निर्धारण के प्रयोजनार्थ पूर्व सूचना देकर अथवा दिए बिना किसी भी तकनीकी संस्था का निरीक्षण करवा सकती है ।

(ख) परिषद् द्वारा यथा निर्धारित विनियमों एवं मानकों और विनियमों आदि के उल्लंघन के मामले में जिसे निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर तकनीकी संस्थाओं को सूचित किया गया हो, परिषद् एक अथवा अधिक पाठ्यक्रमों/अथवा कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन को वापस ले सकती है / अथवा 'नो एडमिशन' अधिरोपित कर सकती है अथवा ऐसी कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है , जो वह आवश्यक समझे ।

(ग) परिषद् से सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर तकनीकी संस्था एक अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकती है जिसके लिए कमियों आदि के अनुपालन में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए । यह अपीलीय समिति संबंधित संस्था से अपील प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर अध्यक्ष अभातशिप द्वारा गठित की जाएगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद/शिक्षाशास्त्री-अध्यक्ष
- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम* का निदेशक (* प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए)
- किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
- संयोजक के रूप में सलाहकार (अभातशिप)

(घ) अपीलीय समिति की सिफारिशें अंतिम निर्णय के लिए अध्यक्ष, अभातशिप के समक्ष रखी जाएंगी । अध्यक्ष का निर्णय अनुसमर्थन के लिए कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

(ङ) परिषद् का निर्णय संबंधित संस्था तथा अन्य प्राधिकारियों को अपीलीय समिति की बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा ।

(च) परिषद् संबंधित संस्था के कार्यक्रमों को परिषद् के निर्णय के अनुसार तत्काल प्रभाव से गैर-संबद्ध करने के लिए संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय को सूचित करेगी ।

(छ) परिषद् ऐसी संस्थाओं के विद्यमान छात्रों को किसी अन्य समान अभातशिप अनुमोदित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी । परिषद् कार्यक्रम की शेष अवधि के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। परिषद् कार्यक्रम की शेष अवधि के लिए उस संस्था में अतिरिक्त स्थानों की संख्या को तदनुसार अनुमोदन प्रदान करेगी, जहां पर छात्रों को स्थानांतरित किया गया है ।

(ज) यदि संबंधित संस्था ऐसी फीस और अन्य देय राशि का वापस करने से इंकार करती है, तो परिषद् अभातशिप द्वारा अनुमोदन वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए छात्रों द्वारा पहले ही भुगतान की गई फीस एंव अन्य देय राशि की प्रतिपूर्ति के लिए

संस्था/सोसाइटी/न्यास की आरपीजीएफ/संयुक्त एफडीआर तथा अन्य परिसंपत्तियां जब्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी ।

(झ) परिषद् आम जनता को सावधान करने के लिए अनुमोदन वापस लेने के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करेगी तथा इसे अपनी वेबसाइट और/अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रदर्शित करेगी ।

2.11.1.2 किसी विश्वविद्यालय से असंबद्ध नहीं तकनीकी संस्थाएं (जो गैर-डिग्री कार्यक्रम चला रही है):

(क) परिषद् वित्तीय आवश्यकताओं, अथवा संस्था के शिक्षण, परीक्षा और शोध के स्तर, सन्नियमों एवं मानकों के अनुरक्षण, विनियमों के उल्लंघन और कदाचारों आदि के विषय में निर्धारण के प्रयोजनार्थ पूर्व सूचना देकर अथवा दिए बिना किसी भी तकनीकी संस्था का निरीक्षण करवा सकती है ।

(ख) परिषद् द्वारा यथा निर्धारित सन्नियमों एवं मानकों और विनियमों आदि के उल्लंघन के मामले में, जिसे निरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर तकनीकी संस्थाओं को सूचित किया गया हो, परिषद् एक अथवा अधिक पाठ्यक्रमों/अथवा कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन को वापस ले सकती है/अथवा "नो एडमिशन" दर्जा अधिरोपित कर सकती है अथवा ऐसी कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे ।

(ग) परिषद् से सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर तकनीकी संस्था एक अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकती है जिसके लिए कमियों आदि के अनुपालन में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए । यह अपीलीय समिति संबंधित संस्था से अपील प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर अध्यक्ष अभातशिप द्वारा गठित की जाएगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद/शिक्षाशास्त्री-अध्यक्ष
- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम* का निदेशक (* प्रबंधन प्रस्तावों के लिए)
- किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
- संयोजक के रूप में सलाहकार (अभातशिप)

(घ) अपीलीय समिति की सिफारिशें अंतिम निर्णय के लिए अध्यक्ष, अभातशिप के समक्ष रखी जाएगी । अध्यक्ष का निर्णय अनुसमर्थन के लिए कार्यारिणी समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

(ङ) परिषद् का निर्णय संबंधित संस्था तथा अन्य प्राधिकारियों को अपीलीय समिति की बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा ।

(च) परिषद् ऐसी संस्थाओं के विद्यमान छात्रों को अन्य समान अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाएगी । परिषद् कार्यक्रम की शेष अवधि के लिए उस संस्था, जिसके छात्रों को स्थानांतरित किया गया है, की अतिरिक्त सीटों की संख्या को तदनुसार अनुमोदित करेगी ।

(छ) यदि संबंधित संस्था ऐसी फीस और अन्य देय राशि को वापस करने से इंकार करती है, तो परिषद् अभातशिप द्वारा अनुमोदन वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित किए गए छात्रों द्वारा पहले ही भुगतान की गई आनुपातिक फीस एवं अन्य देय राशि की प्रतिपूर्ति के लिए संस्था/सोसाइटी/न्यास की आरपीजीएफ/संयुक्त एफडीआर तथा अन्य परिसंपत्तियां जब्त करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी ।

(ज) परिषद् आम जनता को सावधान करने के लिए अनुमोदन वापस लेने के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करेगी तथा इसे अपनी वेबसाइट और/अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रदर्शित करेगी ।

2.11.1.3 अन्य तकनीकी संस्थाएं :

(क) ऐसी तकनीकी संस्थाएं, जो अभातशिप द्वारा अनुमोदित नहीं हैं तथा अभातशिप के पूर्व अनुमोदन के बिना तकनीकी शिक्षा, जैसी कि अभातशिप अधिनियम के अधीन परिभाषित की गई है, में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संचालित कर रही हैं, परिषद् ऐसी दोषी संस्था/सोसाइटी/न्यास/कंपनी/सहयोजित व्यक्तियों जैसा भी मामला हो, उपयुक्त कार्रवाई करेगी, जिसमें विधिक कार्रवाई भी शामिल है ।

(ख) परिषद् ऐसी संस्थाओं के अनुमोदन की स्थिति के बारे में आम जनता को भी समय-समय पर सूचित करेगी।

ह./- (अपठनीय)

कृते सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा./162/2006]

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

No. F. 37-3/Legal/2006.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 read with section 10 (b), (g), (i), (k), (p) & (v) and Section 11 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and, in super session of the Regulations No. F. 37-3/Legal/2004 dated 28-11-2005, the following regulations are hereby notified by the Council:

2.1 Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (AICTE) Grant of approval for starting new technical institutions, introduction of courses or programmes and increase/ variation of intake capacity of seats for the courses or programmes and Extension of approval for the existing technical institutions Regulations, 2006.

(2) They shall come into force w.e.f. the date of publication in the Official Gazette of India.

2.2 Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act 1987 (52 of 1987);

(b) 'Technical Institution" means the institution of Government, Government Aided and Private (self financing) institutions conducting the courses/programmes in the field technical education, training and research in Engineering, Technology Including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programmes and areas as notified by the Council from time to time;

(c) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act;

2.3 Purpose

These Regulations provides for :

(a) Grant of approval for establishment of new technical institutions;
(b) Grant of approval for introduction of new courses or programs and/or increase and/or variation in intake of seats in existing courses or programs in technical institutions;
(c) Grant of Extension of approval for the existing technical institutions;

2.4 Applicability

These Regulations shall be applicable to technical institutions of Government, Government Aided and Private (self financing) conducting the courses/ programs in the fields of technical education, training and research in Engineering, Technology Including MCA, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy, Hotel Management & Catering Technology, Applied Arts & Crafts and such other programs and areas as notified by the Council from time to time.

2.5 Requirement of grant of approval

(1) No new technical institution of Government, Government Aided or Private (self financing) institution, whether affiliated or not affiliated to any University shall be started and no new courses or programs shall be introduced and no increase and/or variation of intake in the existing Courses/Programmes shall be effected at all levels in the field of 'Technical Education' without obtaining prior approval of the Council. The Council may take appropriate action against such defaulting Institution/Society/Trust/Company/ Associated Individuals as the case may be for contravening provisions of this regulations by conducting courses/progammmes in "technical Education" without obtaining prior approval from AICTE.

(2) No existing technical institution of Government, Government Aided or Private (self financing) institution whether affiliated or not affiliated to a University shall conduct any technical course/programme without obtaining prior approval of the Council.

(3) A University or a Body or a Board shall not affiliate Institutions and their technical courses/programmes leading to award of Degree/Diploma etc. not approved by AICTE.

(4) No admission authority/body/institution shall permit admission of students to a course/programme of technical institution not approved by AICTE.

2.6 PROCEDURE FOR PROCESSING OF PROPOSALS FOR GRANT OF APPROVAL FOR ESTABLISHMENTOF NEW TECHNICAL INSTITUTIONS FOR CONDUCT OF TECHNICAL COURSES/PROGRMMES

SUBMISSION OF APPLICATIONS/PROPOSALS

The Proposals Forms for establishment of New Technical Institutions for conducting technical programmes, can be submitted by the following:

(a) Registered Societies and Trusts
(b) Central/State Government Institutions
(c) Government Aided Institutions

The Proposal Forms can be downloaded from the AICTE website: *www.aicte.emet.in*. However, a DD for Rs. 5000/- towards application form drawn on a nationalized bank in favour of "The Member Secretary, AICTE", payable at New Delhi, must be enclosed with the proposal form failing which the application shall not be considered.

2.6.1 (a) The approval process for establishment of new Institutions shall be open ended, Applicant Society/Trust allowing the to submit proposals to the concerned Regional Office of the Council any time round the year. The proposal for the new Institution received by the Council shall be valid for three years.

(b) Duly filled in and signed Proposal Form in four copies along with requisite processing Fee and the requisite documents in support of the proposals shall be submitted to Concerned Regional Office of AICTE.

(c) The check list attached to the proposal shall be scrutinized by a committee comprising of two members of concerned Regional Committee including the Regional Officer as convener.

(d) The deficiencies if any, in the check list shall be communicated by the Regional Office of the Council to the applicant Society/Trust within 15 days from the date of receipt of the proposal under intimation to the AICTE HQs New Delhi.

2.6.2 (a) The Regional Office shall forward the proposals complete in all respects, within 15 days from the date of receipt of such proposals, one copy each of the proposals to the concerned State Govt./Union Territories and Affiliating University for obtaining their views within 30 days.

(b) The State Govts and the Affiliating Universities shall forward its views within 30 days from the date of receipt of the proposals from the Regional Office. The State Govt./and the affiliating university, shall provide reasons and justification to substantiate their stand. The views of the concerned State Government/Universities shall be taken into consideration while processing the proposals for establishment of new technical institutions. Accordingly no separate No Objection Certificate (NOC) is required to be submitted to the AICTE by the Applicant Society/Trust from the concerned State Govt/ University.

(c) The Council shall have the right to overrule the recommendations of the State Govt/University while deciding the matters of establishment of new technical institutions.

2.6.3 (a) The proposal shall thereafter be considered by following Hearing Committee to be constituted by the Chairman AICTE:

- An academician/professional of repute as Chairman.
- Three Expert Members at the level of Professor one of whom shall be the member of the committee of the Regional Committee referred at para 2.6.2(c) above as members.
- An Advisor/Director of AICTE Hqs as Convener.

(b) The Hearing Committee shall be headed by a academician/professional of repute among the members of the above Committee.

(c) The Hearing Committee shall meet at least once in a month to process the proposals.

2.6.4 (a) The Applicant Society/Trust shall make a presentation before the Hearing Committee with necessary Documents/information as prescribed by the Council.

(b) The list of documents/information to be placed before the Hearing Committee by the Applicant Society/ Trust shall be notified by the Council in the Approval Process Hand Book from time to time.

2.6.5 Based on the recommendations of the Hearing Committee, the AICTE may issue a Letter Of Intent (LOI), which shall be valid for three years from the date of issue of LOI during which time, the applicant Society/Trust shall obtain letter of approval from the Council after fulfilling the norms and Standards and other Conditions prescribed from time to time. On expiry of the 3 year duration, the Applicant Society/Trust shall make a fresh application for issuance of Letter of Intent.

2.6.6(a) In cases where Letter of Intent is denied for non-fulfillment of norms & standards and conditions as may be stipulated by the Council, shall be informed along with grounds of denial.

(b)The Applicant Society/Trust may seek reconsideration of the proposal after rectifying the deficiencies. Such claims shall be verified, at the cost of the Applicant Trust/Society.

c) However the Applicant Society/Trust shall be eligible to seek reconsideration only once. In case the proposal is rejected the Applicant Trust/Society shall make a fresh application for issuance of Letter of Intent.

2.6.7 (a) In case the Applicant Society/Trust disputes the decision of the Council it may prefer an appeal any time and the appeal shall be heard by an Appellate Committee constituted by the Chairman AICTE from time to time with the following members:

- An educationist/academician of repute as Chairman
- Director of IIT/NIT/IIM* (*For Management Proposals)
- Vice Chancellor of a University
- Advisor (AICTE) as convener

(b) The Appellate Committee shall meet quarterly.

c) Based on the recommendations of the Appellate Committee and other relevant information, a final decision shall be taken by the Chairman AICTE on grant of Letter of Intent or otherwise.

d) In case the proposal is rejected the applicant/society/trust may make a fresh application for issuance of Letter of Intent.

2.6.8.The applicant Society/Trust to whom a Letter of Intent has been issued shall be required to make an application to the Council, after fulfilling the norms, standards and requirements laid down by the Council from time to time, seeking suitable dates for visit of the Expert Committee among with the following documents:

(1) A Non refundable processing fee of Rs 50,000 drawn in favour of the "Member Secretary" AICTE payable at New Delhi (Government Institutions and Govt. Universities are exempted)

(2) (a)A Joint Fixed Deposit created for a period of 8 years in the name of the President/Chairman of the Applicant Society/Trust and the concerned Regional officer of

3054 GI/06-7

AICTE for an amount as applicable to the category of the institutions indicated below (Government and Government Aided Institutions and Govt. Universities are exempted).

Category of the Institution	Joint Fixed Deposit
Engineering & Technology	Rs.35.00 Lakhs
Pharmacy/HMCT/Architecture/Planning/Applied Arts & Crafts (Degree) MCA/MBA/ PGDM/ PGDBM	Rs. 15.00 Lakhs

(b) The original Joint Fixed Deposit receipt shall be kept under the custody of the proposed institution. A copy of the Joint Fixed Deposit receipt shall be submitted to the concerned Regional Office of the AICTE along with an affidavit on non judicial stamp paper of prescribed value stating that the Joint Fixed Deposit shall not be encashed or modified without prior consent of AICTE. The Regional Officer AICTE shall also instruct the concerned Bank not to allow any encashment/modification of fixed deposit and grant of loan against the deposit without the prior consent of AICTE.

(c) The interest accrued on the fixed deposit shall be credited to the concerned institution on yearly basis and shall be utilized for award of scholarships to the students.

(d) The Joint Fixed Deposit shall be permitted to be encashed on expiry of the term of the Fixed Deposit. However, the term of the fixed deposit could be extended for a further period as may be decided on case to case basis and/or forfeited incase of any violation of norms, conditions, and requirements and/or non-performance by the institution and/or complaints against the institution.

(3) The processing fee and the Joint FDR amount for Minority institutions may be reduced by 20%.

2.6.9(a) An Expert visiting Committee shall visit the proposed premises of the institution on payment of requisite processing fee by the Applicant Society/Trust and examine the preparedness of the institution to impart quality education as per the norms & standards and conditions prescribed by the Council from time to time.

(b) The Expert Visiting Committee shall comprise of the following members:

- Three Expert members not below the level of Associate Professor/Reader nominated by the Chairman, AICTE
- Expert members one each not below the level of Associate Professor/Reader to be nominated by the State Govt. and the respective Affiliating University
- Concerned Regional Officer or an Officer of the Council as convener to be nominated by the Chairman AICTE.

(c) The Expert Committee shall be headed by an academician/professional of repute from the above committee.

(d) The documents to be made available to the visiting Expert Committee shall be notified in the Approval Process Handbook from time to time.

2.6.10 (a)The Report of the Expert visiting Committee shall be placed before EC-Sub-Committee comprises: .

- Vice Chairman of the Council as Chairman.
- Two members of the Executive Committee as Members to be nominated by the Chairman AICTE out of which one member shall be the Member Secretary AICTE.

b) The EC Sub-Committee shall meet at least once in month .

c) The recommendations of the EC-Subcommittee and other relevant information shall be placed before the Chairman AICTE for a decision on grant of approval for establishment of a new Institution or otherwise. The decision of the Chairman shall be placed before the Executive Committee for ratification.

d) The Letter of Approval shall be issued to the Applicant Society/Trust within 30 days of the date of the decision which shall be valid for two years from the date of issue of letter of approval.

e) In cases where approval is denied for non-fulfillment of norms & standards and conditions as may be stipulated by the Council, shall be informed along with grounds of denial.

f) The Applicant Society/Trust may seek reconsideration after rectifying the deficiencies and complying with the norms, standards and conditions prescribed by the Council from time to time.

g) The compliance report on the deficiencies submitted by the Applicant shall be reconsidered by the Council. The Council may decide to depute an Expert visiting committee for verifying the claims made by the Applicant Society/Trust, whose recommendations shall be placed before the EC-Sub Committee. All costs incurred on this account shall be borne by the Applicant Society/Trust.

2.6.11 (a) In case the Applicant Society/Trust disputes the decision of the Council it may appeal any time and the appeal shall be heard by an Appellate Committee constituted by the Chairman AICTE from time to time with the following members:

- An educationist/academician of repute as Chairman
- Director of IIT/NIT/IIM* (*For Management Proposals)
- Vice Chancellor of a University
- Advisor (AICTE) as convener

(b)The Appellate Committee shall meet quarterly.

(c) Based on the Recommendations of the Appellate Committee and other relevant information, a final decision shall be taken by the Chairman, AICTE on grant of "approval" or otherwise on establishment of new technical institution. The decision of the Chairman shall be placed before the Executive Committee for ratification.

(d) Cases where approval is denied on the recommendations of the Appellate committee due to non-fulfillment of norms & standards, and conditions as are stipulated by the Council, grounds of denial shall be communicated to the concerned Applicant Society/Trust.

(e) Incase the proposal is rejected Applicant Society/Trust shall make a fresh application for issuance of Letter of Intent.

(f) The decision on grant of approval or otherwise shall be communicated to the institutions throughout the year. It shall be the responsibility of the applicant institutions to obtain necessary affiliation/ permission from the concemed affiliating University/State Govt. etc. as per the prescribed schedule of the University/Admission Authority etc. Thereafter the Applicant Society/Trusts shall fumish information about commencement of Institution within 30 days to AICTE for updating its database.

2.7 APPROVAL PROCESS FOR PROCESSING APPLICATIONS FOR EXTENSION OF APPROVAL TO EXISTING TECHNICAL INSTITUTIONS :

2.7.1. AICTE approved technical Institutions whether affiliated to a University or not, conducting technical education courses/progarmmes:

(a) The AICTE approved technical Institutions shall submit two copies of Compliance Report in the prescribed format along with mandatory disclosure information as defined at para 2.7.1(7) and a demand draft towards processing fee of Rs 40,000 drawn in favor of Member Secretary, AICTE payable at New Delhi to the concerned Regional Office of the Council by 31st August every year.

(b) The institution shall also submit an undertaking in the prescribed format stating that the information provided in the compliance report is factual and correct and that the Council can take appropriate action, including withdrawal of approval and appropriate legal action, if found that any information provided in the compliance report is false.

2.7.1.1(a) The compliance reports shall be processed through an Appraisal Committee comprising:

- Three Expert members not below the level of Associate Professor/Reader in the concemed subject/fields/area of specialization or equivalent from R&D organizations or from the Industry not below the rank of Scientist (F) and General Manager respectively.
- Two members of the Regional Committee including the Regional Officer to be nominated by the Chairman AICTE,
- An Officer of the Council as convener

(b) The Appraisal Committee shall be headed by an academician/ professional of repute from the above Committee.

2.7.1.2 (a) The recommendations of the Appraisal Committee shall be placed before the Vice Chairman/Chairman AICTE for a decision on continuation of approval or otherwise. The above decision shall be placed before the Executive Committee for ratification.

(b) The approval granted to all existing technical Institutions shall be communicated to the concerned affiliating university/State Govt./Trust/ Institution by 31st March every year.

(c) In those cases where extension of approval is denied for non-fulfillment of norms, & standards and conditions as may be stipulated by the Council, grounds of denial shall be communicated to the institutions and authorities concerned.

(d) The Applicant Institution may seek re-consideration after rectifying the deficiencies and complying with norms standards and conditions prescribed from time to time.

(e) The compliance report on the deficiencies submitted by the Applicant shall be reconsidered by the Council. The Council may decide to depute an Expert visiting committee for verifying the claims made by the Applicant Society/Trust, whose recommendations shall be placed before Vice Chairman/Chairman. All costs incurred on this account shall be borne by the Applicant Institution.

2.7.1.3(a) In case the Applicant Society/Trust disputes the decision of the Council it may appeal any time and the appeal shall be heard by an Appellate Committee constituted by the Chairman AICTE from time to time with the following members:

- An educationist/academician of repute as Chairman
- Director of IIT/NIT/IIM* (*For Management Proposals)
- Vice Chancellor of a University
- Advisor (AICTE) as convener

(b)The Appellate Committee shall meet quarterly.

2.7.1.4 Based on the Recommendations of the Appellate Committee and other relevant information, a final decision will be taken by the Chairman, AICTE on behalf of the Council for grant of "Extension of approval" or other wise. The decision of the Chairman shall be placed before the Executive Committee for ratification.

2.7.1.5 AICTE may carry random visits round the year any time for verifying the status of the Institutions to ensure maintenance of norms and standards.

2.7.1.6 The AICTE may cause to conduct inspections with or without notifying the dates in cases where specific complaints of mis-representation, violation of norms and standards, mal-practices etc. are reported to verify the facts. AICTE shall take appropriate punitive actions for any violations on false information furnished to it.

2.7.1.7 (a) The technical institutions shall publish an information booklet before commencement of the academic year giving details regarding the institution and courses/programmes being conducted and details of infrastructural facilities including faculty etc. in the form of mandatory disclosure. The information booklet shall be made available to the stakeholders of the technical education on cost basis. The information shall be revised every year with updated information about all aspects of the institution.

(b) It shall be mandatory for the technical institutions to maintain a Web-site providing the prescribed information. The website information must be continuously updated as and when changes take place.

(c) If a Technical Institution fails to disclose the information or suppress and/or misrepresent the information, appropriate action including withdrawal of AICTE approval could be initiated.

3054 GI/06-8

2.8 PROCEDURE FOR PROCESSING OF PROPOSALS FOR INTRODUCTION OF ADDITIONAL COURSES/ INCREASE/VARIATION IN INTAKE IN THE EXISTING TECHNICAL INSTITUTIONS

2.8.1 Submission of Proposals

(a) The AICTE approved technical Institutions may submit "any time" round the year, a proposal in the prescribed format (four copies) along with the following documents to the concerned Regional Office of the Council for grant of approval for introduction of new courses or programmes and/or increase in intake and/or variation in the intake capacity. There shall be no 'cut off' dates prescribed by the Council for submission of proposals:

- A copy of the Compliance Report along with Mandatory Disclosures submitted to the Council.
- Detailed Project Report along with the documents notified in Approval Process Handbook
- Processing Fee of Rs. 40,000/- (Rupees Forty thousand only) by means of a Demand Draft drawn on a nationalized bank in favour of the Member Secretary, AICTE, New Delhi payable at New Delhi

(b) The check list attached to the proposal shall be scrutinized by a committee comprising of two members of concerned Regional Committee including the Regional Officer as convener.

(c) The deficiencies if any, in the check list shall be communicated by the Regional Office of the Council to the Applicant Society/Trust within 15 days from the date of receipt of the proposal under intimation to the AICTE HQs New Delhi.

2.8.2 (a) The Regional Office shall forward the proposals complete in all respects, within 15 days from the date of receipt of the proposal, one copy each of the proposals to the concerned State Govt./Union Territories and Affiliating University for obtaining their views within 30 days.

(b) The State Govts and the Affiliating Universities shall forward its views within 30 days from the date of receipt of the proposals from the Regional Office. The State Govt./and the affiliating university, shall provide reasons and justification to substantiate their stand. The views of the concerned State Govemment/Universities shall be taken into consideration while processing the proposals for establishment of new technical institutions. Accordingly no separate "No Objection Certificate (NOC)" is required to be submitted to the AICTE by the Applicant Society/Trust from the concerned State Govt/ University.

(c) The Council shall have the right to overrule the recommendations of the State Govt/University while deciding the matters of introduction of additional course/ increase/ variation in intake in the existing technical institutions.

2.8.3 (a) The proposal shall thereafter be considered by following Hearing Committee to be constituted by the Chairman AICTE:

- An academician/professional of repute as Chairman.
- Three Expert Members at the level of Professor one of whom shall be the member of the committee of the Regional Committee referred at para 2.8.1(b) above as members.
- An Advisor/Director of AICTE Hqs as Convener.

(b)The Hearing Committee shall be headed by a academician/professional of repute among the members of the above Committee.

(c)The Hearing Committee shall meet at least once in a month to process the proposals.

2.8.4 (a) The list of documents/information to be submitted before the Hearing Committee shall be notified by the Council in the Approval Process Hand Book from time to time.

(b) The Hearing Committee based on information furnished by the Institution may decide:

(i) To recommend to the AICTE for approval, or
(ii) To recommend to the AICTE for the visit of the Expert Committee
(iii) To recommend to the AICTE for rejection showing relevant grounds for such rejection.

(c) AICTE may carry out, random visits round the year any time for verifying the status of the institutions to update its database and ensure maintenance of Norms and Standards.

2.8.5 AICTE may also conduct from time to time Inspections with or without notifying dates in such cases where specific complaints of misrepresentation, violation of norms and standards, mal-practices etc. are received to verify the facts, AICTE shall take appropriative punitive actions for any violations on false information furnished to it.

2.8.6(a) The recommendations of the Hearing Committee shall be placed before the Vice Chairman/ Chairman AICTE for a decision on introduction of new courses/programmes and/or increase/variation of intake capacity. The above decision shall be placed before the Executive Committee for ratification.

(b) The approval accorded by the AICTE shall be valid for two years from the date of issue of letter of approval.

(c) In those cases where approval is denied for non-fulfillment of norms, & standards and conditions as may be stipulated by the Council, grounds of denial shall be communicated to the concerned institutions.

(d) The Applicant Institution may seek re-consideration after rectifying the deficiencies and complying with norms standards and conditions prescribed from time to time.

(e) The compliance report on the deficiencies submitted by the Applicant shall be reconsidered by the Council. The Council may decide to depute an Expert visiting committee for verifying the claims made by the Applicant Society/Trust, whose recommendations shall be placed before Vice Chairman/Chairman. All costs incurred on this account shall be bome by the Applicant Institution.

(f) However the Applicant Institution shall be eligible to seek reconsideration only once. Incase the Proposal is rejected the applicant institution shall make a fresh applicant for grant of approval for introduction of new courses/programmes and/or increase/variation in intake capacity.

2.8.7(a) In case the Applicant Society/Trust disputes the decision of the Council it may appeal any time and the appeal shall be heard by an Appellate Committee constituted by the Chairman AICTE from time to time with the following members:

- An educationist/academician of repute as Chairman
- Director of IIT/NIT/IIM* (*For Management Proposals)
- Vice Chancellor of a University
- Advisor (AICTE) as convener

(b) The Appellate Committee shall meet quarterly.

(c) Based on the Recommendations of the Appellate Committee and other relevant information, a final decision will be taken by the Vice Chairman/ Chairman, AICTE on behalf of the Council for grant of "approval" or otherwise for introduction of new courses or programmes and/or increase in intake and/or variation in the intake capacity. The decision of the Chairman shall be placed before the Executive Committee for ratification.

2.8.8 (a) The decision on grant of approval or otherwise shall be communicated to the institutions throughout the year. It shall be the responsibility of the applicant institutions to obtain necessary affiliation/ permission from the concerned affiliating University/State Govt. etc. as per the prescribed schedule of the University/Admission Authority etc. Thereafter the Applicant Institution shall furnish information about commencement of programmes within 30 days to AICTE for updating its database.

(b) Cases where approval is denied on the recommendations of the Appellate committee due to non-fulfillment of norms, & standards and conditions as are stipulated by the Council, grounds of denial shall be communicated to the concerned Applicant Institution.

(c) Incase the proposal is rejected based on the recommendations of the Appellate Committee, the Applicant Society/Trust shall make a fresh application.

2.9 Interpretation

If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Council.

The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these Regulations.

2.10 Power to relax

The Council may in exceptional cases, for removal of any hardship or such other reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of institutions.

2.11 Withdrawal of approval

If any technical institution contravenes any of the provisions of these Regulations, the Council may, after making such inquiry, as it may consider appropriate and after giving the technical institution concerned an opportunity of being heard, withdraw the approval granted under these Regulations

2.11.1 Procedure for No Admission/Withdrawal of approval:

2.11.1.1Technical Institutions affiliated to a University:

(a) The Council may cause an inspection to any technical institution with or without prior intimation for the purposes of ascertaining the financial needs, or its standards of teaching, examination and research, maintenance of norms and standards, violation of regulations and malpractices etc.

(b) In case of violations of norms and standards and regulations etc as prescribed by the Council and as communicated to the technical institution/s based on the recommendations of the Inspection Committee, the Council may decide to withdraw its approval/or impose "no admission" status for one or more courses/or programmes or impose any other punitive action deemed necessary.

(c) The technical institution may prefer an appeal within 15 days of the receipt of the communication from the Council along with all relevant documents in compliance of the deficiencies etc. before an Appellate Committee, which shall be constituted by the Chairman AICTE within 15 days of the receipt of the appeal from the Institution concerned with the following Members:

- An educationist/academician of repute- Chairman
- Director of IIT/NIT/IIM* (*for management proposals)
- Vice-Chancellor of a University
- Adviser (AICTE) as convener

(d) The recommendations of the Appellate Committee shall be placed before the Chairman, AICTE for final decision. The decision of the Chairman shall be placed before the Executive Committee for ratification.

(e) The decision of the Council shall be communicated within 15 days of the date of meeting of the Appellate Committee, to the concerned institution and other authorities.

(f) The Council shall inform the concerned affiliating university to dis-affiliate the programmes of the institution concerned as per the decision of the Council with immediate effect.

(g) The Affiliating University shall be responsible to shift the current students of the institution to other AICTE approved institutions under the jurisdiction of that University to avoid any disruption and to continue the academic activities of the existing students. The Council shall accordingly approve the number of students, thus shifted as additional seats for the remaining duration of the programme.

(h) The Council shall take appropriate action to forfeit the RPGF/Joint FDR and other assets of the Institutions/Society/Trust to recover the proportionate fees and other dues already paid by the students who have been shifted to other Institutions consequent upon withdrawal of approval by AICTE, if the concerned Institute declines the refund of such fees and other dues.

(i) The Council shall publish in newspapers and display on its website and/or by any other means about the withdrawal of approval etc. to caution the general public.

2.11.1.2 Technical Institutions (offering non-degree programmes) NOT affiliated to any University:

(a) The Council may cause an inspection to any technical institution with or without prior intimation for the purposes of ascertaining the financial needs, or its standards of teaching, examination and research, maintenance of norms and standards, violation of regulations and malpractices etc.

(b) In case of violations of norms and standards and regulations etc as prescribed by the Council and as communicated to the technical institution/s based on the recommendations of the Inspection Committee, the Council may decide to withdraw its approval/or impose "no admission" status for one or more courses/or programmes or impose any other punitive action deemed necessary.

(c) The technical institution may prefer an appeal within 15 days of the receipt of the communication from the Council along with all relevant documents in compliance of the deficiencies etc. before an Appellate Committee, which shall be constituted by the Chairman AICTE within 15 days of the receipt of the appeal from the Institution concerned with the following Members:

- An educationist/academician of repute- Chairman
- Director of IIT/NIT/IIM* (*for management proposals)
- Vice-Chancellor of a University
- Adviser (AICTE) as convener

(d) The recommendations of the Appellate Committee shall be placed before Chairman, AICTE for final decision. The decision of the Chairman shall be placed before the Executive Committee for ratification.

(e) The decision of the Council shall be communicated within 15 days of the date of meeting of the Appellate Committee, to the concerned institution and other authorities.

(f) The Council may take necessary steps to shift the existing students of such institutions to other similar AICTE approved institutions with immediate effect. The Council shall accordingly approve the number of additional seats in institutions to which the students are shifted for the remaining duration of the programme.

(g) The Council shall take appropriate action to forfeit the RPGF/Joint FDR and other assets of the Institutions/Society/Trust to recover the fees and other dues already paid by the students who have been shifted to other Institutions consequent upon withdrawal of approval by AICTE, if the concerned Institute declines the refund of such fees and other dues.

(h) The Council shall publish in newspapers and display on its website and/or any other means about the withdrawal of approval etc to caution the general public.

2.11.1.3 Other Technical Institutions:

(a) The Institutions which are not approved by AICTE conducting courses/programmes, without prior approval of AICTE in technical education as defined under AICTE Act, the Council may take appropriate action including Legal action against such defaulting Institution/Society/Trust/Company/Associated Individuals as the case may be.

(b) The Council shall also inform the general public about the status of approval of such institution from time to time.

Sd./- (Illegible)
For Member Secy.
[ADVT. III/IV/Exty./162/2006]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.